रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 1994/आषाढ़ 15, 1916
No. 95] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 1994/ASADHA 15, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 221(पी एन)/92–97

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1994

विषय :—पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वातानुकूलित कारों तथा वातानुकूलित वाहनों का आयात।

फा.सं. आई.पी.सी./4/5(126)/85-88.— पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विनिर्दिष्ट आयातकों द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 283/92-सीमाशुल्क दिनांक 1 अक्तूबर, 1992 के अनुसार बिना लाइसेंस के सीमाशुल्क की रियायती दर पर वातानुकूलित कारों और वातानुकूलित वाहनों के आयात की सुविधा जो कि 31 मार्च, 1993 तक वैध थी उसके संबंध में वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 100(पी एन)/92–97 दिनांक 3 फरवरी, 1993 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 73/94-सीमाशुल्क दिनांक 1 मार्च, 1994 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है जिसके द्वारा पर्यटकों को आने-जाने की सुविधा प्रदान करने के लिये विनिर्दिष्ट आयातकों द्वारा भारत में वातानुकूलित कारों,

तथा वातानुकूलित वाहनों का आयात किये जाने पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त माल पर लगने वाली उतनी कस्टम ड्यूटी की छूट दी गई थी, जितनी कि यथा मूल्य 50% की दर पर गणना की गई राशि से अधिक हो, तथा उक्त अधिसूचना में दी गई शर्तों के अध्यधीन उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत वातानुकूलित वाहनों पर लगने वाले कुल अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गई थी जो कि फरवरी, 1995 की 28वीं तारीख सहित तथा उस दिन तक प्रवर्तित रहेंगे।

3. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि पर्यटकों को आने-जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए अपेक्षित वातानुकूलित कारें जिनका मूल्य प्रति वाहन 35,000 अमरीकी डालर से अधिक न हो, तथा वातानुकूलित वाहनों जिनका मूल्य प्रति वाहन 1,00,000 अमरीकी डालर से अधिक न हो, का आयात "विनिर्दिष्ट आयातक" नामशः राज्य पर्यटन निगम, पर्यटन प्रचालक, पर्यटन यातायात प्रचालक या पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के पर्यटन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित यात्रा अभिकरण द्वारा ऊपर निर्दिष्ट वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 73/94-सीमाशुल्क दिनांक 1 मार्च, 1994 में दी गई अन्य शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन पर्यटन महानिदेशक की सिफारिश के आधार पर बिना लाइसेंस के उपर्युक्त सीमाशुल्क की रियायती दर पर आयात किया जा सकता है।

4. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 221(PN)/92-97

New Delhi, the 6th July, 1994

SUBJECT : Import of air-conditioned cars and air-conditioned coaches for development of tourism.

File No. IPC/4/5(126)/85-88.—Attention is invited to Ministry of Commerce **Public Notice No. 100(PN)/92-97 dated 3rd February, 1993** regarding import of air-conditioned cars and air-conditioned coaches for development of tourism by specified importers without a licence at a concessional rate of customs duty as provided in Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification **No. 283/92-Customs** dated the 1st October, 1992, which facility was valid upto the 31st March, 1993.

2. Attention is also invited to the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 73/94-Customs dated 1st March, 1994 exempting air-conditioned cars and air-conditioned coaches when imported into India by specified importers for providing transport for tourists, from so much of the duty of customs leviable on the said goods, which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of the amount calculated at the rate of 50 per cent ad valorem; and the whole of the additional duty leviable on air-conditioned coaches under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the conditions stipulated in the said notification, which shall remain in force upto and inclusive of the 28th day of February, 1995.

3. In view of the foregoing it has been decided that the import of air-conditioned cars for a value not exceeding US $ 35,000 per vehicle and air-conditioned coaches for a value not exceeding US $ 1,00,000 per vehicle required for providing transport for tourists, may be made, without a licence, by the "specified importer" namely, State Tourism Corporation, Tour Operator, Tourist Transport Operator or Travel Agency approved by Director General of Tourism in the Ministry of Tourism, Government of India, at a concessional rate of customs duty mentioned above, on the basis of the recommendation of Director General of Tourism subject to compliance with the other terms and conditions stipulated in Ministry of Finance Notification No. 73/94-Customs dated 1st March, 1994 referred to above.

4. This issues in public interest.

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994